

समस्त जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2018-19 से प्रदेश में सभी कार्यक्रमों /योजनाओं /परियोजनाओं के नियोजन, क्रियान्वयन मूल्यांकन एवं अनुश्रवण प्रणाली के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

उक्त निर्णय के क्रम में नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) एवं नेशनल भास्कराचार्य इन्सटीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एण्ड जियो इन्फार्मेटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी (MeiTY), भारत सरकार की तकनीकी सहायता से प्रदेश में रिमोट एप्लीकेशन सेन्टर, 30प्र0 द्वारा विकसित किये गये UPCOG, Geo-Portal क्रियान्वित किया जा रहा है ।

2. उत्तर प्रदेश सेन्टर ऑफ जियो इन्फार्मेटिक्स (यू0पी0सी0ओ0जी0), रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, 30प्र0, द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के 83 विभागों एवं उनसे सम्बन्धित 165 उपविभागों के कुल 248 जियो पोर्टल एवं कुल 32 मोबाइल ऐप विकसित किये जा चुके हैं ।

3. रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, BISAG-N व विभाग के सम्बन्ध में UPCOG जियो पोर्टल (URL : <https://uttarpradesh.ncog.gov.in/up/up.html>) के अन्तर्गत विभाग का जियो पोर्टल विकसित किया गया था, जिसमें विभाग द्वारा निम्न GIS लेयरो में डाटा संग्रहित कर जियो पोर्टल हेतु व्यवस्थित कराया गया है :-

क्र0सं0	विभाग/ उप विभाग का नाम	विभागों/ उपविभागों द्वारा सृजित जियोटैग्ड परिसम्पत्तियों का विवरण
1	मनोरंजन कर एवं वाणिज्य कर विभाग	
1.1	मनोरंजन कर	1- सिनेमा (203) 2- मल्टीप्लेक्स (85) 3- रिपोर्ट टूल
1.2	वाणिज्य कर	आफिस लोकेशन्स (110)

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि URL : <https://uttarpradesh.ncog.gov.in/up/up.html> के माध्यम से विभागीय जियोपोर्टल पर विभाग द्वारा सृजित एवं सार्वजनिक उपयोग में आने वाली परिसम्पत्तियों की जियो टैगिंग के सम्बन्ध में विभाग से संबंधित क्रियाकलापों में उपयोग करने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें । पत्र में इंगित URL पर मनोरंजन कर एवं वाणिज्य कर TAB पर Login नोडल अधिकारी संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय को उपलब्ध है । अतः उक्त सन्दर्भ में आवश्यकतानुसार कार्यवाही करने हेतु संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है ।

20/9/2022
(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. समस्त अनुभाग अधिकारी, राज्य कर मुख्यालय ।

(प्रकाश यादव)
संयुक्त आयुक्त(आई0टी0)
राज्य कर मुख्यालय ।